

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 488/2024

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

मुस्ताक पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादी

- बनाम्
- मुनीरा पत्नी मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - अमीन पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - सफीक पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - अखतर हुसैन पुत्र मुमताज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - मोहम्मद रमजान पुत्र मुमताज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - उसमान पुत्र मुमताज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - शकीना बीबी पुत्री मुमताज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - इस्तीमा बीबी पुत्री मुमताज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - बीबी इस्तयाक पुत्री मुमताज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - शायरा बीबी पत्नी इस्तयाक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - अल्लादिता पुत्र इस्तयाक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - अलाबक्श पुत्र इस्तयाक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - अमीरा पुत्री इस्तयाक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - नजीरा बीबी पुत्री इस्तयाक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - माफिया पुत्री इस्तयाक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - सहीद पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
  - तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :-

प्रतिवादी की ओर से :-

श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 29.8.2024

वादी मुस्ताक ने प्रतिवादीगण मुनीरा वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 16 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 16 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 9 एम.एम.के. के विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 2.909 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

प्रतिवादी सं. 1 ता 16 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 16 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्ययों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 16 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जारिसे पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 16 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 16 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 15 के मध्य हुए बंटवारानुसार कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 16 का उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 15 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से है:-

(क) वादी मुस्ताक पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/205 46 1,10/0.253 है.प्र., 20/1/0.126 है.

कुल 0.632 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 मुनीरा पत्नी मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

131/205 47 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.

कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 अमीन पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/205 46 2,9/0.253 है.प्र.

कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 3 सफीक पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/205 46 11,12/0.253 है.प्र.

कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(ङ) प्रतिवादी सं. 4 ता 9 क्रमशः अखतर हुसैन, मोहम्मद रमजान, उसमान पुत्रगण मुमताज एवं शकीना बीबी, हलीमा बीबी, नसीबा बीबी पुत्रीयां मुमताज समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/205 46 13,18/0.253 है.प्र.

कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 10 ता 15 क्रमशः शायरा बीबी पत्नी इस्तयाक, अल्लादिता, अलाबक्श, अमीरा, नजीरा बीबी, माफिया बीबी पुत्रगण/पुत्रीयां इस्तयाक समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/205 46 3,8/0.253 है.प्र.

कुल 0.506 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 16 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 16 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 16 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 17 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में तहसील संगरिया के चक 9 एम.एम.के. के विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 16 सांझा खाता के काशतकार है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 16 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 16 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 16 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 9 एम.एम.के. के विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 2.909 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 16 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 16 सांझा खाता के काशतकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**--: क्रियात्मक आदेश :-**

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

- (क) वादी मुस्ताक पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
132/205 46 1,10/0.253 है.प्र., 20/1/0.126 है.  
कुल 0.632 है. कृषि भूमि
- (ख) प्रतिवादीया सं. 1 मुनीरा पत्नी मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
131/205 47 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.  
कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

लगातार --4

महायुक्त क्लर्क एवं  
उपबण्ड अधिकारी  
संगरिया

प्रतिवादी सं. 2 अमीन पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
132/205 46 2,9/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(ब) प्रतिवादी सं. 3 सफीक पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
132/205 46 11,12/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(ड) प्रतिवादी सं. 4 ता 9 क्रमशः अखतर हुसैन, मोहम्मद रमजान, उसमान पुत्रगण मुमताज एवं शकीना बीबी, हलीमा बीबी, नसीबा बीबी पुत्रीयां मुमताज समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
132/205 46 13,18/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(व) प्रतिवादी सं. 10 ता 15 क्रमशः शायरा बीबी पत्नी इस्तयाक, अल्लादिता, अलाबक्श, अमीरा, नजीरा बीबी, माफिया बीबी पुत्रगण/पुत्रीयां इस्तयाक समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
132/205 46 3,8/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर कब्जाकाशत के अभाव में प्रतिवादीगण/सहखातेदारान का नाम कब्जाकाशत के अभाव में कलमजन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.8.2014 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (सि.सं.व.)  
संगरिया जिला  
संगरिया

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)  
प्रकरण सं. 488/2024

मुस्ताक पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.) - वादी

बनाम्

1. मुनीरा पत्नी मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
2. अमीन पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
3. सुफीक पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
4. अखतर हुसैन पुत्र मुमताज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. मोहम्मद रमजान पुत्र मुमताज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. उसमाबि पुत्र मुमताज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
7. शकीना बीबी पुत्री मुमताज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
8. हलीमा बीबी पुत्री मुमताज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
9. नसीबा बीबी पुत्री मुमताज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
10. शायरा बीबी पत्नी इस्तयाक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. अल्लादिता पुत्र इस्तयाक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
12. अलाबवश पुत्र इस्तयाक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
13. अमीरा पुत्री इस्तयाक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
14. नजीरा बीबी पुत्री इस्तयाक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
15. माफिया पुत्री इस्तयाक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
16. सहीद पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
17. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 29.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष  
वारने इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन  
जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर  
हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

(क) वादी मुस्ताक पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/205 46 1,10/0.253 है.प्र., 20/1/0.126 है.  
कुल 0.632 है. कृषि भूमि

लगातार --2

राकेश कुमार एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

प्रतिवादीया सं. 1 मुनीरा पत्नी मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

131/205 47 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.  
कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 2 अमीन पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/205 46 2,9/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 3 सफीक पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/205 46 11,12/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 4 ता 9 क्रमशः अखतर हुसैन, मोहम्मद रमजान, उसमान पुत्रगण मुमताज एवं शकीना बीबी, हलीमा बीबी, नसीबा बीबी पुत्रीयां मुमताज समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/205 46 13,18/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 10 ता 15 क्रमशः शायरा बीबी पत्नी इस्तयाक, अल्लादिता, अलाबक्श, अमीरा, नजीरा बीबी, माफिया बीबी पुत्रगण/पुत्रीयां इस्तयाक समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 67/10 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/205 46 3,8/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर कब्जाकाशत के अभाव में प्रतिवादीगण/सहखातेदारान का नाम कब्जाकाशत के अभाव में कलमजज किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ..... निल ..... मुब्लिक ..... निल ..... बाबत् .....  
निल..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 29.8.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),  
संगरिया